
	<b>us'kuylhMldkWjiksjs'kufyfeVsM</b> ¼Hkkjr ljdkjdkmiØey?kqjRu daiuh½ “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” <b>dsUnzh; jkT; QkeZ] lwjrx&lt;+</b> ftykJhxaxkuxj ¼jkt-½ Qksu% 01509&223873 bZ&esy %ago.csfsuratgarh@gmail.com	<b>NATIONAL SEEDS CORPORATION</b> <b>LIMITED</b> (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” <b>CENTRAL STATE FARM, SURATGARH</b> Distt:- SriGanganagar	
---	---	--	---

### अल्पकालीन- निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में रबी 2017-18 में बोई गई चने की फसल से निकलने वाले बाथू की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 19.06.2018 को अपराह्न 2:30 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 3:00 बजे खोली जायेगी। निविदाएं देने से पहले रूपये 10,000.00 (दस हजार) मात्र अमानत राशि का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा करानी होगी। ठेकेदार को पेन नम्बर, वोटर पहचान पत्र की प्रति देनी जरूरी है। अन्य नियम व शर्तें रूपये 100/- का डीडी जमा करा कर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से सांय 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

**प्रबन्धक (उत्पादन)**

Particulars	Details
Date of issue of NIT	122.06.2018 4.30 PM
Tender Document Download Start Date/time	12.06.2018 9.30 AM
Tender Document Download End Date/time	19.06.2018 12.00 NOON
Date and time for submission of offline bid	12-06-2018 9.30 AM 19-06-2018 02.30 PM
Date and time of opening of Bid in Offline mode at NSC, Suratgarh	19-06-2018 03.00 PM
Tender Fee(To be deposited offline)	Rs. 100.00 ( Rs. One hundred only)
EMD (To be deposited offline)	Rs. 10000.00 ( Rs. Ten Thousand only)
Address for Communication	DGM (Farm) Central State Farm, Suratgarh National Seeds Corporation Ltd. - 335804
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Gajanand Singh Manager (P) 8239107997 e-mail ID ago.csfsuratgarh@gmail.com

निदेशक,  
केन्द्रीय राज्य फार्म,  
सूरतगढ़ (राज0)।

विनोईग सेन्टर पर पड़े बाथू को खरीदने के लिए टेण्डर

क्रं0 सं0	ब्लॉक नं0	बाथू की अनुमानित मात्रा क्विंटल में	रकम प्रति क्विंटल रूपयों में जो फार्म में जमा करानी है ।
1.	खण्ड नं0 – एक	250.00	
2	खण्ड नं0 – दो, तीन	250.00	

हस्ताक्षर .....

नाम व पता.....

.....

.....

मोबाईल नं0 .....

**विनोईग सेन्टर पर पड़े बाथू (2017-18 में) को खरीदने हेतु नियम व शर्तें**

- 1 खण्ड 1, 2, 3 में बाथू खरीदने के लिए निविदा/खुली बोली में भाग लेने के लिए इस कार्यालय में धरोहर राशि रू0 10000 (दस हजार रू0 मात्र) फार्म खजांची के पास डी0डी0 जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा करवाने होंगें। अमानत राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। बाथू की अनुमानित मात्रा (लगभग 500 क्विटल , मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है) की 25 प्रतिशत रकम अगले दिन खरीददार को जमा करानी होगी । जोकि आखिरी रिलीज ऑर्डर में समायेजित की जायेगी । 25 प्रतिशत रकम जमा नहीं कराने पर अमानत राशि जब्त करली जायेगी ।
- 2 बाथू से मिट्टी आदि साफ करने के लिए तथा बोरी भराई, लदाई आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगें। बाथू ले जाने के लिए वाहन ठेकेदार का होगा ।
- 3 बाथू की मात्रा लेने से पहले रकम जमा करारकर रिलीज ऑर्डर लेना होगा तभी बाथू दिया जायेगा।
- 4 बाथू से निकली हुई मिट्टी/कचरे को ठेकेदार अपने ट्रैक्टर से विनोईग सेंटर से बाहर डलवायेगा तथा विनोईग सेन्टर को साफ करेगा।
- 5 बाथू सफाई या लदाई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा तथा पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
- 6 कार्य करने की अवधि सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही होगी। कार्य अवधि कार्य आदेश से 45 दिन तक होगी ।
- 7 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
- 8 कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 9 यदि कोई ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व माल जब्त कर लिया जाएगा। तथा उसके बाद एच-2 को मौका दिया जायेगा ।
- 10 यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के सह-प्रबन्ध-निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।
- 11 सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।
- 12 आर्बीटेशन एवं कॉनसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा ।

**प्रबन्धक (उत्पादन)**